<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 275 / 13

<u>संस्थित दि.: 08 / 04 / 13</u>

विरुद्ध

- मंगलिसंह पिता दशरथिसंह, उम्र 36 साल, जाति गोंड,
 निवासी जगनटोला थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- आत्माराम पिता होलूराम, उम्र 27 साल, जाति गोंड,
 निवासी जगनटोला थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3. शेख साकीर पिता शेख रहीम, उम्र, 23 साल, जाति मुसलमान, निवासी जगनटोला थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — — आरोपीगण

–:<u>: निर्णय :</u>:–

(आज दिनांक 03/12/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 09/02/2013 को 06:00 से 09:00 बजे के बीच रात्रि में ग्राम जगनटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान थाना क्षेत्र रूपझर में लगी लोहे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर, उक्त दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर, रात्रि गृहभेदन किया एवं फरियादी धनुषलाल हनवत के अधिपत्य से उसकी अनुमित के बिना सदोष सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुये चावल 4 बोरी में 2 क्विंटल, शक्कर 8 बोरी में 4 क्विंटल कीमत करीब 6500/— को हटाकर चोरी कारित की।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी धनुषलाल ने

आरक्षी केन्द्र रूपझर में दिनांक 17.02.2013 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 09.02.2013 को शाम के 06:00 बजे ग्राम जगनटोला में स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान के अन्दर 65 क्विंटल 08 किलो चावल, 06 क्विंटल 21 किलो गेहूँ, 04 क्विंटल 89 किलो शक्कर स्टाक में रखकर दुकान बंद करने के बाद घर चला गया। सुबह भजन बल्के जगनटोला ने मोबाईल पर फोन करके उसे बताया कि सोसायटी के पीछे की तरफ की लोहे की खिड़की टूटी है तो उसने जाकर देखा तो पीछे तरफ की लोहे की खिड़की की एक ग्रिल टूटी हुई थी। अन्दर रखा सामान 02 क्विंटल कुल 04 बोरी चावल तथा 04 क्विंटल कुल 08 बोरी शक्कर, कीमती 6500/— का सामान चोरी हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात के विरुद्ध अपराध कमांक 15/13 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी मंगलसिंह, आत्माराम एवं आरोपी शेख साकिर को गिरफ्तार कर आरोपीगण से चोरी गये सामान को जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप—पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।
- (04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, पुलिस ने झूठी विवेचना कर उनके विरुद्ध झूठी कार्यवाही कर उन्हें झूठा फंसाया है।
- (05) आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 09/02/2013 को 06:00 से 09:00 बजे के बीच रात्रि में ग्राम जगनटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान थाना क्षेत्र रूपझर में लगी लोहे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर, उक्त दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर, रात्रि गृहभेदन किया ?

(2) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धनुषलाल हनवत के अधिपत्य से उसकी अनुमित के बिना सदोष सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुये चावल 4 बोरी में 2 क्विंटल, शक्कर 8 बोरी में 4 क्विंटल कीमत करीब 6500/— को हटाकर चोरी कारित की ?

<u>४ —::___ सकारण निष्कर्ष</u>::—

विचारणीय बिन्दु कमांक '1' एवं '2' :-

- (06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु '1' एवं '2' का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- 🚺 अभियोजन साक्षी / फरियादी धनुषलाल हनवल (अ.सा. 1) का कहना है (07)कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी ग्राम जगनटोला की है। शनिवार दिनांक 09.02.2013 को शाम के 06:00 वह शासकीय उचित मूल्य की दुकान को बंद करके अपने घर चला गया। दुकान में करीब 65 क्विंटल चावल, 06 क्विंटल गेहूँ तथा 04 क्विंटल 79 किलो शक्कर रखी हुई थी। गांव के भजन वल्के द्वारा सूचना दी गई कि सोसायटी की पीछे की खिड़की का ग्रील टूटा हुआ है तब उसने वहां जाकर देखा तो पीछे का ग्रील टूटा हुआ था। उसने सोसायटी के अन्दर जाकर देखा तो चावल एवं शक्कर चोरी हो गया था, जिसके संबंध में उसने थाना रूपझर में रिपोट की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-03 है। उसके सामने आरोपी मंगलसिंह ने पुलिस ने एक लाल थैले में पांच किलो शक्कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—03 के अनुसार जप्त नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी आत्माराम से 45-45 किलो चावल कुल 90 किलो चावल की जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह अजय और चन्द्रकुमार के समक्ष उससे उचित मूल्य की दुकान से संबंधित दस्तावेज की जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी मंगलसिंह ALLEN A

और आत्माराम को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—07 एवं 08 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि आरोपीगण को उसके सामने पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था और नहीं उसके सामने आरोपीगण से पुलिस ने पूछताछ की थी और न हीं पुलिस ने मौका नक्शा बनाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट बताया है कि पुलिस के कहने पर उसने प्रदर्श पी—03, 04 एवं 05 पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता उमेलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि (80)दिनांक 17.02.2013 को अपराध कमांक 15/13 अन्तर्गत धारा 457, 380 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक राकेश कुमार बैस के द्वारा लेखबद्ध की गई। प्रतिवेदन विवेचना हेतु उसे प्राप्त होने पर उसने दिनांक 17.02.2013 को फरियादी धनुषलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नजरी नक्शा तैयार किया, जो प्रदर्श पी-02 है। फरियादी धनुषलाल एवं गवाह शिवकुमार, भीमराज, भजनलाल, सीताराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। आरोपी मंगलिसंह ने साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-11 में उसे बताया था कि उसने जगनटोला राशन की दुकान से जो शक्कर चुराई थी, जिसमें उसके हिस्से में आई एक बोरी शक्कर एवं कुछ खुली शक्कर उसने अपने घर के अन्दर लकडी की खटिया के नीचे छिपाकर रखी है। आरोपी से साक्षियों के समक्ष तांत के एक लाईनिंग वाले थैले में पांच किलो शक्कर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी मंगलसिंह के द्वारा 48 किलो शक्कर पेश करने पर उसने उक्त शक्कर को साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी आत्मा ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-12 में उसे बताया था कि चोरी किये गये चावल में से उसके हिस्से में आई दो बोरी चावल जिसे उसने अपने बहन के घर के अन्दर छुपाकर रखा है। आरोपी आत्मा के द्वारा साक्षियों के समक्ष 45-45 किलो की दो बोरी चावल निकालकर पेश करने पर उसने चावल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपी शेख साकिर ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—13 में बताया है कि जगनटोला राशन दुकान से चुराया गये चावल एवं शक्कर में से उसके हिस्से में आया दो बोरी चावल एवं दो बोरी शक्कर उसने अपने घर के अन्दर छुपाकर रखा है तथा शक्कर से भरी बोरी व एक बोरी खुली दलदला नाला क्रांसिक र में फेंक दिया है। आरोपी शेख साकिर के द्वारा साक्षियों के समक्ष अपने आधिपत्य से दो बोरे में करीबन 45—45 किलो शक्कर तथा दो बोरी में 50—50 किलो चावल एवं दजदला नाला के पानी पर तलाशी करने पर दो बोरी खाली सीली हुई एवं एक बोरी बिना सीली खाली बोरी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—09 के अनुसार जप्त की थी। दलदला नाला में की गई तलाशी एवं जगनटोला सोसायटी में ली गई तलाशी बाबद तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी—14 एवं प्रदर्श पी—15 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—07 एवं 08 तथा 10 तैयार किया था। दिनांक 04.03.2013 को फरियादी धनुषलाल से साक्षियों के समक्ष आर्टिकल ए—1 एवं ए—2 तथा ए—3 के प्रमाणित दस्तावेज प्रदर्श पी—06 के अनुसार जप्त किया था।

- (09) अभियोजन साक्षी भजन उइके (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक साल पुरानी जगनटोला की है। उसे गांव की महिलाओं ने सोसायटी उचित मूल्य की दुकान की खिड़की की ग्रील टूटी हुई देखी तो उन्होंने उसे बताया तब उसने सैल्स मैंन धनुषलाल हनवत को उसकी सूचना फोन से दी। सूचना देने के बाद धनुषलाल हनवत आया तो वह उसके साथ सोसायटी की दुकान देखने के लिये गया तो उसने देखा कि सोसायटी की खिड़की का ग्रील टूटा हुआ था तथा सोसायटी का अनाज बिखरा पड़ा था। धनुषलाल ने थानो में जाकर रिपोर्ट लिखाई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोंषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह जब घर में था तो उसे पता लगा कि जगनटोला सोसायटी की ग्रील टूटी हुई है, जिसकी सूचना उसने धनुषलाल हनवत को दी। पुलिस ने जगनटोला सोसायटी से चोरी गया सामान साकीर मुसलमान व उसके दोस्तों ने ही चुराया है, इस संबंध में बताया था, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने उसके कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये थे।
- (10) अभियोजन साक्षी शिवकुमार परते (अ.सा. 3) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः माह पुरानी ग्राम जगनटोला की है। ग्राम जगनटोला में सोसायटी दुकान में चोरी हो गई थी। उसने पुलिस के कहने पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उसके सामने आरोपी मंगनसिंह, आरोपी आत्माराम एवं आरोपी शेख सािकर से किसी भी सामान की जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—03, 04, 05 के बी से बी एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था,

किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—07 एवं 08 के बी से बी भाग पर एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे, किन्तु मेमो रेण्डम कथन प्रदर्श पी—11, 12 एवं 13 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण का कोई तलाशी पंचनामा नहीं बनाया था, किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी—15 एवं 16 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मेमो रेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी, तलाशी पंचनामा, घटनास्थल का मौका नक्शा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

- (11) अभियोजन साक्षी भीमराज (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और न ही उसके सामने आरोपी शेख सािकर से कोई सामान की जप्ती हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—09 पर उसके हस्ताक्षर है।पुलिस ने उसके सामने कोई घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार नहीं किया था, किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी शेख सािकर को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—10 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से कोई मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध नहीं किये थे और न ही को तलाशी पंचनामा तैयार बनाया था, किन्तु मेमो रेण्डम कथन प्रदर्श पी—11, 12 एवं 13 तथा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी—14 एवं 15 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा सािक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी सािक्षी ने घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा सािक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मेमो रेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी, तलाशी पंचनामा, घटनास्थल का मौका नक्शा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।
- (12) अभियोजन साक्षी सीताराम (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान जगनटोला

के सचिव भजन वल्के के यहां लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। साक्षी धनुषलाल (अ.सा. 1) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था और न ही आरोपी से उसके सामने कोई पूछताछ की थी और न ही पुलिस ने उसके सामने ह ाटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट कथन किये है कि उसने प्रदर्श पी-03, 04 एवं 05 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे एवं साक्षी भजन उइके (अ.सा. 2) ने भी अभियोजन का समथर्नन नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोंषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह जब घर में था तो उसे पता लगा कि जगनटोला सोसायटी की ग्रील टूटी हुई है, जिसकी सूचना उसने धनुषलाल हनवत को दी। पुलिस ने जगनटोला सोसायटी से चोरी गया सामान साकीर मुसलमान व उसके दोस्तों ने ही चुराया है, इस संबंध में बताया था, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने उसके कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये थे व साक्षी शिवकुमार परते (अ.सा. 3) ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मेमो रेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी, तलाशी पंचनामा, घटनास्थल का मौका नक्शा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे तथा साक्षी भीमराज (अ.सा. 4) ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मेमो रेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी, तलाशी पंचनामा, घटनास्थल का मौका नक्शा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे एवं साक्षी सीताराम (अ.सा. 5) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

- (14) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- अभियोजन साक्षी / फरियादी धनुषलाल हनवल (अ.सा. 1) का कहना है (15) कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी ग्राम जगनटोला की है। शनिवार दिनांक 09.02.2013 को शाम के 06:00 वह शासकीय उचित मूल्य की दुकान को बंद करके अपने घर चला गया। दुकान में करीब 65 क्विंटल चावल, 06 क्विंटल गेहूँ तथा 04 क्विंटल 79 किलो शक्कर रखी हुई थी। गांव के भजन वल्के द्वारा सूचना दी गई कि सोसायटी की पीछे की खिड़की का ग्रील टूटा हुआ है तब उसने वहां जाकर देखा तो पीछे का ग्रील टूटा हुआ था। उसने सोसायटी के अन्दर जाकर देखा तो चावल एवं शक्कर चोरी हो गया था, जिसके संबंध में उसने थाना रूपझर में रिपोट की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-03 है। उसके सामने आरोपी मंगलसिंह ने पुलिस ने एक लाल थैले में पांच किलो शक्कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 के अनुसार जप्त नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी आत्माराम से 45-45 किलो चावल कुल 90 किलो चावल की जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह अजय और चन्द्रकुमार के समक्ष उससे उचित मूल्य की दुकान से संबंधित दस्तावेज की जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी मंगलिसंह और आत्माराम को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—07 एवं 08 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि आरोपीगण को उसके सामने पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था और नहीं उसके सामने आरोपीगण से पुलिस ने पूछताछ की थी और न हीं पुलिस ने मौका नक्शा बनाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट बताया है कि

पुलिस के कहने पर उसने प्रदर्श पी-03, 04 एवं 05 पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता उमेलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 17.02.2013 को अपराध क्रमांक 15 / 13 अन्तर्गत धारा 457, 380 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक राकेश कुमार बैस के द्वारा लेखबद्ध की गई। प्रतिवेदन विवेचना हेतु उसे प्राप्त होने पर उसने दिनांक 17.02.2013 को फरियादी धनुषलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नजरी नक्शा तैयार किया, जो प्रदर्श पी-02 है। फरियादी धनुषलाल एवं गवाह शिवकुमार, भीमराज, भजनलाल, सीताराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। आरोपी मंगलसिंह ने साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—11 में उसे बताया था कि उसने जगनटोला राशन की दुकान से जो शक्कर चुराई थी, जिसमें उसके हिस्से में आई एक बोरी शक्कर एवं कुछ खुली शक्कर उसने अपने घर के अन्दर लकड़ी की खटिया के नीचे छिपाकर रखी है। आरोपी से साक्षियों के समक्ष तांत के एक लाईनिंग वाले थेले में पांच किलो शक्कर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी मंगलसिंह के द्वारा 48 किलो शक्कर पेश करने पर उसने उक्त शक्कर को साक्षियों के समक्ष जप्त कर ज्प्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी आत्मा ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-12 में उसे बताया था कि चोरी किये गये चावल में से उसके हिस्से में आई दो बोरी चावल जिसे उसने अपने बहन के घर के अन्दर छुपाकर रखा है। आरोपी आत्मा के द्वारा साक्षियों के समक्ष 45-45 किलो की दो बोरी चावल निकालकर पेश करने पर उसने चावल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपी शेख साकिर ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–13 में बताया है कि जगनटोला राशन दुकान से चुराया गये चावल एवं शक्कर में से उसके हिस्से में आया दो बोरी चावल एवं दो बोरी शक्कर उसने अपने घर के अन्दर छुपाकर रखा है तथा शक्कर से भरी बोरी व एक बोरी खुली दलदला नाला में फेंक दिया है। आरोपी शेख साकिर के द्वारा साक्षियों के समक्ष अपने आधिपत्य से दो बोरे में करीबन 45-45 किलो शक्कर तथा दो बोरी में 50-50 किलो चावल एवं दजदला नाला के पानी पर तलाशी करने पर दो बोरी खाली सीली हुई एवं एक बोरी बिना सीली खाली बोरी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 के अनुसार जप्त की थी। दलदला नाला में की गई तलाशी एवं जगनटोला सोसायटी में ली गई तलाशी बाबद् तलाशी WINDS पंचनामा प्रदर्श पी—14 एवं प्रदर्श पी—15 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 एवं 08 तथा 10 तैयार किया था। दिनांक 04.03.2013 को फरियादी धनुषलाल से साक्षियों के समक्ष आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 तथा ए-3 के प्रमाणित दस्तावेज प्रदर्श पी-06 के अनुसार जप्त किया था।

- (17) अभियोजन साक्षी भजन उड़के (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक साल पुरानी जगनटोला की है। उसे गांव की महिलाओं ने सोसायटी उचित मूल्य की दुकान की खिड़की की ग्रील टूटी हुई देखी तो उन्होंने उसे बताया तब उसने सैल्स मैंन धनुषलाल हनवत को उसकी सूचना फोन से दी। सूचना देने के बाद धनुषलाल हनवत आया तो वह उसके साथ सोसायटी की दुकान देखने के लिये गया तो उसने देखा कि सोसायटी की खिड़की का ग्रील टूटा हुआ था तथा सोसायटी का अनाज बिखरा पड़ा था। धनुषलाल ने थानो में जाकर रिपोर्ट लिखाई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोंषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह जब घर में था तो उसे पता लगा कि जगनटोला सोसायटी की ग्रील टूटी हुई है, जिसकी सूचना उसने धनुषलाल हनवत को दी। पुलिस ने जगनटोला सोसायटी से चोरी गया सामान साकीर मुसलमान व उसके दोस्तों ने ही चुराया है, इस संबंध में बताया था, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने उसके कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये थे।
- (18) अभियोजन साक्षी शिवकुमार परते (अ.सा. 3) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः माह पुरानी ग्राम जगनटोला की है। ग्राम जगनटोला में सोसायटी दुकान में चोरी हो गई थी। उसके सामने आरोपी मंगनसिंह, आरोपी आत्माराम एवं आरोपी शेख साकिर से किसी भी सामान की जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—03, 04, 05 के बी से बी एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे, किन्तु मेमो रेण्डम कथन प्रदर्श पी—11, 12 एवं 13 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण का कोई तलाशी पंचनामा नहीं बनाया था, किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी—11, 12 एवं 13 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण का कोई तलाशी पंचनामा नहीं बनाया था, किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श

पी—15 एवं 16 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मेमो रेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी, तलाशी पंचनामा, घटनास्थल का मौका नक्शा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

- अभियोजन साक्षी भीमराज (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना के बारे में (19) उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और न ही उसके सामने आरोपी शेख साकिर से कोई सामान की जप्ती हुई थी, किन्तु ज्प्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 पर उसके हस्ताक्षर है।पुलिस ने उसके सामने कोई ध ाटनास्थल का मौका नक्शा तैयार नहीं किया था, किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी शेख साकिर को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से कोई मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध नहीं किये थे और न ही को तलाशी पंचनामा तैयार बनाया था, किन्तु मेमो रेण्डम कथन प्रदर्श पी-11, 12 एवं 13 तथा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-14 एवं 15 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मेमो रेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी, तलाशी पंचनामा, घटनास्थल का मौका नक्शा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।
- (20) अभियोजन साक्षी सीताराम (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान जगनटोला के सचिव भजन वल्के के यहां लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।
- (21) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी धनुषलाल, भजन उइके, शिवकुमार परते, भीमराज, सीताराम के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी धनुषलाल, भजन उइके, शिवकुमार

परते, भीमराज, सीताराम के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियो ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने दिनांक 09/02/2013 को 06:00 से 09:00 बजे के बीच रात्रि में ग्राम जगनटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान थाना क्षेत्र रूपझर में लगी लोहे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर, उक्त दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर, रात्रि गृहभेदन किया एवं फरियादी धनुषलाल हनवत के अधिपत्य से उसकी अनुमित के बिना सदोष सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुये चावल 4 बोरी में 2 क्विंटल, शक्कर 8 बोरी में 4 क्विंटल कीमत करीब 6500 / — को हटाकर चोरी कारित की। साक्षियों के कथनों से यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 09/02/2013 को 06:00 से 09:00 बजे के बीच रात्रि में ग्राम जगनटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान थाना क्षेत्र रूपझर में लगी लोहे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर, उक्त दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर, रात्रि गृहभेदन किया एवं फरियादी धनुषलाल हनवत के अधिपत्य से उसकी अनुमति के बिना सदोष सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुये चावल 4 बोरी में 2 क्विंटल, शक्कर 8 बोरी में 4 क्विंटल कीमत करीब 6500 / – को हटाकर चोरी कारित की।

- (22) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 09/02/2013 को 06:00 से 09:00 बजे के बीच रात्रि में ग्राम जगनटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान थाना क्षेत्र रूपझर में लगी लोहे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर, उक्त दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर, रात्रि गृहभेदन किया एवं फरियादी धनुषलाल हनवत के अधिपत्य से उसकी अनुमित के बिना सदोष सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुये चावल 4 बोरी में 2 क्विंटल, शक्कर 8 बोरी में 4 क्विंटल कीमत करीब 6500/— को हटाकर चोरी कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- (23) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है। .

- (24) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- (25) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति सुपुर्दगी पर है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

ELIMINA PAROTA PAROTA STATE AND A PAROTA PAR

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)